बिहार सरकार

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक 1325 दिनांक 02/04/20

आदेश

तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरो में से एक है। थूकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र–तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गम्भीर बीमारियों यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "कोरोना वायरस (COVID-19)" को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो– उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास एवं/अथवा रू0 200/– (दो सौ) तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है । प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप 200/–रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

विदित हो कि तम्बाकू सेवन के उपरान्त उसे यत्र–तत्र थूकने को निषिद्ध करने के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के "कोरोना (COVID-19)" जैसी महामारी से बचाने तथा "स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत" अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन–स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उक्त के आलोक में जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मुजफ्फरपुर जिला के सभी सरकारी/ गैर–सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है । इस आशय का बोर्ड/टिन प्लेट का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन कर्त्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

01/04/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक 1325 दिनांक 02/04/20

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी// सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / सभी वरीय उप समाहर्ता/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति मुजफ्फरपुर /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रीन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के सभी पत्रकारों को उक्त आदेश का मिडिया कवरेज कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकॉनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 32 पुष्कर अपार्टमेन्ट, गाँधी मुर्ति पटेल नगर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, तिरहुत प्रक्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01/04/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर